न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016/विविध आवेदन-पत्र

1- रामप्रसाद पुत्र हनुमान वैसवार,
2- सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद वैसवार,
3- रामप्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मन वैसवार,
निवासीगण - ग्राम महदेइया तहसील चितरंगी, जिला सीधी (म0प्र0)

-- आवेदक/अपीलान्ट्स

बनाम

1- अनुज प्रसाद पुत्र अतिबल वैसवार निवासी ग्राम महदेइया तहसील चितरंगी, जिला सीधी (म0प्र0)

2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

-- अनावेदक/रेस्पोडेन्ट्स

<u>विविध आवेदन-पत्र वास्ते माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2028-दो/16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 में टायपिंग त्रुटि सुधारने बावत्।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से विविध आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक 2028-दो/16 निगरानी व वनमान रामप्रसाद आदि बनाम अनुज प्रसाद आदि प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2016 को पारित किया गया है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9053–दो / 16 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित होकर विविध आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण कमांक निगरानी 2028–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 8.7.16 में टायपिंग त्रुटि सुधारने का प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आदेश में निम्न प्रकार की त्रुटियां है जो इस प्रकार हैं:– ए– अनावेदक कमांक–1 का पता अंकित नहीं किया गया है । उसका पता ग्राम महदेइया, तहसील चितरंगी जिला सीधी हाल जिला सिंगरोली म0प्र0 अंकित किया जावे। बी– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा गलत टाईप हो गया है उसके स्थान पर जिला सीधी हाल जिला सिंगरोली अंकित किया जाना है। सी– आदेश में पैनल के अधिवक्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है उसका नाम अंकित किया जाना न्यायसंगत होगा। डी– आदेश के पद कमांक–2 की 10 बीं लाईन में टयल शब्द गलत टाईप हो गया है उसे हटाया जाना आवश्यक है। ई– आदेश के पद कमांक 2 में अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण कमांक 75/2002–03 अंकित है जिसे अपील प्र0क0 के स्थान पर 73/2002–03 किया जाना आवश्यक है। एफ– आदेश के पद कमांक 4 में पेज कमांक 3 की तीसरी लाईन में न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक	

31.8.56 अंकित हो गया है जबकि आदेश दिनांक वर्ष 57 किया जाना न्यायसंगत होगा तथा अंतिम लाईन में सकें के स्थान पर सकते हैं, लिखा जाना न्यायसंगत है।

जी- आदेश के पद कमांक 5 में छटवीं लाईन में कन्टूनेशन सीट दिनांक सही टाईप नहीं हैं उसे सही किया जावे।

एच- आदेश के पद कमांक 6 की तीसरी लाईन में व्यवस्थापन आदेश दिनांक में वर्ष 1956 के स्थान पर वर्ष 1957 अंकित किया जावे तथा रामप्रसाद के आगे रामप्रसाद के स्वर्गीय पिता हनुमान वैसार के नाम हुये पट्टे शब्द को जोड़ा जावे तथा अंतिम हो गये के स्थान पर अंतिम हो गया है।

आई- आदेश के पद कमांक 8 की तीसरी लाईन में व्यवस्थापन आदेश दिनांक वर्ष 1957 सुधार किया जाना न्यायसंगत है तथा आदेश के पेज क्रमंक 4 में की चोथी लाईन में आदेश शब्द दो बार टाईप हो गया है उसमें एक शब्द आदेश को हटाया जावे एवं कमांक 4 के इसी पैरा में माननीय अपर जिला न्यायाधीश के आगे को गलत अंकित किया है उसके स्थान पर के अंकित किया जाना न्यायसंगत होगा।

जे- यह कि आदेश के अंतिम पैरा विवेचना में न्यायालय अपर आयुक्त संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.5.16 के स्थान पर दिनांक 15.5.16 अंकित हो गया है उसे भी सुधारा जावे।

उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर टाइपिंग में हुई त्रुटि को सुधारा जावे। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र भूल सुधार का स्वीकार किया जाता है तथा उसमें दर्शाई गई त्रुटि को निम्न प्रकार से सुधार किया जाता है।

ए- अनावेदक कमांक-1 का पता अंकित नहीं किया गया है

उसका पता ग्राम महदेइया, तहसील चितरंगी जिला सीधी हाल जिला सिंगरोली म0प्र0 पढ़ा जावे।

बी- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा गलत टाईप हो गया है उसके स्थान पर जिला सीधी हाल जिला सिंगरोली पढ़ा जावे।

सी- आदेश में पैनल के अधिवक्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है उसका नाम अंकित प्रथम पेज पर पैनल अधिवक्ता शासन की ओर से पढ़ा जावे।

डी- आदेश के पद कमांक-2 की 10 बीं लाईन में टयल शब्द गलत टाईप हो गया है उसे विलोपित माना जावे।

ई- आदेश के पद कमांक 2 में अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण कमांक 75/2002-03 अंकित है जिसे अपील प्र0क0 के स्थान पर 73/2002-03 पढ़ा जावे।

एफ- आदेश के पद कमांक 4 में पेज कमांक 3 की तीसरी लाईन में न्यायालयं तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.8.56 अंकित हो गया है उसके स्थान पर दिनांक 31.8.57 पढ़ा जावे। अंतिम लाईन में सकें के स्थान पर सकते है उसके स्थान पर सकें पढ़ा जावे।

जी- आदेश के पद कमांक 5 में छटवीं लाईन में कन्टूनेशन सीट दिनांक सही टाईप नहीं हैं उसके स्थान पर कन्टूनेशन सीट दिनांक पढ़ा जावे।

एच- आदेश के पद कमांक 6 की तीसरी लाईन में व्यवस्थापन आदेश दिनांक में वर्ष 1956 के स्थान पर वर्ष 1957 पढ़ जावे तथा रामप्रसाद के आगे रामप्रसाद के स्वर्गीय पिता हनुमान वैसार के नाम हुये पट्टे पढ़ा जावे। तथा अंतिम हो गये के स्थान पर अंतिम हो गया है पढ़ा जावे।

आई- आदेश के पद कमांक 8 की तीसरी लाईन में व्यवस्थापन आदेश दिनांक वर्ष 1956 पढ़ा जावे तथा आदेश के पेज कमंक 4 में की चोथी लाईन में आदेश शब्द दो

बार टाईप हो गया है उसमें एक शब्द आदेश को हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं कमांक 4 के इसी पैरा में माननीय अपर जिला न्यांयाधीश के आगे को गलत अंकित किया है उसके स्थान पर के 'शब्द पढ़ा जावे।

जे- यह कि आदेश के अंतिम पैरा विवेचना में न्यायालय अपर आयुक्त संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.5.16 के स्थान पर दिनांक 13.5.16 पढ़ा जावे।

यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य